न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 37/2020 तारीखरजू:– 6.7.20

उनवान:– करण सिंह बनाम ज्ञानसिंह

दावा वावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
	वादी की और से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 10.07.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2514-2252 6/7/2020
10.7.20	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 5 की ओर से वकालतनामा एवं प्रतिवादी नं. 32, 39, 49, 51, 55, 74 की ओर से मीमो श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने पेश किये। सम्मन बइन्तजार तामील, वकालतनामा व जवाब पेश करने दिनांक 15.7.20 को पेश हो। प्रतिवादी नं. 75 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv ने मीमो पेश किया। पत्रावली दिनांक 15.7.20 को पेश हो।	
15.7.20	वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी नं. 27, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 58, [illegible] 72, 73, 74, 59, 60, 61 की ओर से श्री [illegible] Adv ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी [illegible] 77, 78 के सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए [illegible] प्रतिवादीगण बावजूद [illegible] उपस्थित नहीं हुए [illegible] उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बइन्तजार सम्मन व जवाब दावा एवं प्रतिवादी नं. 75 का वकालतनामा पेश करने दिनांक 27.7.20 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 10:56:22 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक	फर्द अहकाम
27.7.20	वकुलाय उप०। प्रतिवादी नं. 1,2 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv ने भी वकालतनामा पेश किया। P.O.सा० मीटिंग में करौली पधारे हैं। गतानुसार दिनांक 4-8-20 को पेश हो। [signature]
4-8.20	वकुलाय उप०। वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने नया वकालतनामा पेश किया। शामिल किया। P.O.सा० अवकाश पर पधारे हैं गतानुसार दिनांक 13-8-20 को पेश हो। [signature]
13.8.20 करणसिंह [signature]	वकुलाय उपस्थित। वादी करणसिंह एवं वादी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व 3 व धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया कि इस दावा में तकनीकी त्रुटी हो गई है इसलिए नया मुकदमा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा मुकदमा विड्रो फरमाया जावे। [illegible] पत्र पर वादी एवं वादी वकील [illegible] गया। सुनकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नि[illegible] व 3 व धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार [illegible] है तथा नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए दावा विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 10:56:22 IST
Reason: SelfAttested